

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए स्पाइसेस बोर्ड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

- 1) हम ने स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम ,1986 की धारा 24 के साथ पठित नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (कर्तव्य,शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम,1971 की धारा 19(2) के अधीन स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची के संलग्न तुलन-पत्र, जैसे कि 31 मार्च 2014 को है, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे और प्राप्ति एवं भुगतान लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में बोर्ड की यूनिटों/शाखाओं के लेखे शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी हैं। हमारी ज़िम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।
- 2) इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखा रीतियों, लेखा मानकों एवं प्रकटीकरण-मानकों आदि के अनुसार लेखा प्रणाली पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियां निहित हैं। विधि, नियम व विनियम(औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता व निष्पादन पहलू आदि ,यदि कोई हो, के अनुपालन संबंधी वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ज़रिए अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।
- 3) हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। ये मानक यही अपेक्षा करते हैं कि इसके बारे में उचित आश्वासन प्रकट करने के लिए हम इस लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करते हैं कि क्या ये वित्तीय विवरण गलत वस्तुगत विवरणों से रहित हैं। लेखापरीक्षा में, जांच आधार पर, वित्तीय विवरणों की राशियों एवं प्रकटन का समर्थन करनेवाले प्रमाणों की परख शामिल है। लेखापरीक्षा में मैनेजमेंट द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों एवं तैयार किए गए उल्लेखनीय आकलनों का निर्धारण तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा अपनी राय के लिए एक उचित आधार मुहैया करती है।
- 4) अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (i) हमें सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण, जो अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थीं ,प्राप्त हुई हैं।
 - (ii) इस रिपोर्ट में दिये गए तुलन-पत्र एवं आय व व्यय लेखा वित्त मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं ।

(iii) हमारी राय में स्पाइसेस बोर्ड नियम 1987 के नियम 18(1) के साथ पठित स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अधीन समुचित लेखा-बहियाँ एवं अन्य संगत रिकार्ड उचित रूप से बोर्ड द्वारा बनाए रखे गए हैं, जैसे कि ऐसी बहियों की हमारी परीक्षा से लगता है।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) तुलन-पत्र

1. चालू देनदारियाँ तथा प्रावधान (अनुसूची 7)- 78.71 करोड़ रुपए

1.1 देय वेतन - 3.49 करोड़ रुपए

2013-14 में देय वेतन के दोहरा लेखाकरण और उसी पैमाने पर आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता की परिणाम - स्वरूप अत्युक्ति के कारण 1.68 करोड़ रुपयों में इसकी अत्युक्ति हुई है।

1.2 2013-14 के लिए किराया, यात्रा खर्च, मजदूरी आदि, जो 2014-15 के दौरान चुकाए गए हैं, से जुड़े खर्च का प्रावधान न होने के कारण चालू देनदारियों में 97.55 लाख रुपयों की न्यूनोक्ति हुई है। आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता की भी समान परिमाण में न्यूनोक्ति हुई है।

1.3 अंतिम-लाभ के भाग के रूप में पदाधिकारियों के पेंशन, छुट्टी वेतन एवं उपदान की देयता के अल्पकालिक प्रावधान के कारण 112.73 करोड़ रुपए की रकम में इसकी न्यूनोक्ति हुई है। आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता (अर्थात् घाटा) में भी इसी मात्रा में न्यूनोक्ति हुई है।

2. टिप्पणियों का प्रभाव

उपर्युक्त दी गई टिप्पणियों का कुल प्रभाव यह है कि देनदारियों में 112.02 करोड़ रुपयों की न्यूनोक्ति है। आय से खर्च की अधिकता में 112.02 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति थी।

(ख) सहायता-अनुदान

वर्ष के दौरान भारत सरकार की ओर से 139.10 करोड़ रुपयों का अनुदान प्राप्त हुआ था, और 138.00 करोड़ रुपयों का उपयोग किया गया और 1.10 करोड़ रुपए अप्रयुक्त रह गए।

(ग) प्रबंधन पत्र

कमियां, जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उनके सुधार की कार्रवाई, अलग रूप से जारी किए एक प्रबंधन पत्र के जरिये स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष के ध्यान में लाया गया है।

(v) पहले के पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में दिये गए तुलन पत्र एवं आय और व्यय लेखा / प्राप्ति और अदायगी लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं ।

(vi) अपनी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और ऊपर बताए गए उल्लेखनीय मामलों के कारण और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध - I में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के समनुरूप सही एवं उचित दृष्टिकोण पेश करते हैं :

अ) जैसे कि 31 मार्च 2014 को है, यह जहां तक स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची के कार्यकलापों की स्थिति से, तुलन-पत्र से संबन्धित है; तथा

आ) यह जहां तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय एवं व्यय लेखे से संबन्धित है।

(ह.)

(जी.सुधर्मिणी)

प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक व
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, चेन्नई

अनुबंध -1

1. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

बोर्ड में मौजूद आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली नीचे दिए अनुसार अपर्याप्त थी :-

- स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर को नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया जा रहा था ।
- तुलन पत्र और प्राप्ति और अदायगी एवं लेखा में वर्ष 2013-14 के अंत तक हाथ में शेष रकम "शून्य" के रूप में दिखाया गया है जो वास्तव में गलत है क्योंकि बोर्ड ने प्रादेशिक कार्यालयों को अग्रदाय और स्थिर अग्रिम दिया है। 31 मार्च 2014 तक नकद शेष बाकी में मुख्यालय का नकद बाकी ही शामिल है, और स्पाइसेस बोर्ड के अधीन के सभी कार्यालयों के नकद शेष शामिल नहीं हैं। आगे, 31 मार्च 2014 तक के वित्तीय विवरणों के नकद शेष में हाथ में ड्राफ्ट और चेक तथा स्टाम्पों व फ्रांकिंग मशीन में शेष को शामिल नहीं किया है।

2. परिसंपत्तियों के वस्तुगत सत्यापन की प्रणाली

जीएफआर 2005 के नियम 192(1) के अनुसार, साल में एक बार स्थिर परिसंपत्तियों / स्टॉक का सत्यापन किया जाना चाहिए और तदनु रूप रजिस्टर में सत्यापन का परिणाम दर्ज किया गया। विसंगतियों, अगर हैं तो, उनकी सही ढंग से जांच की जानी चाहिए और लेखा में लाई जानी चाहिए । आगे स्पाइसेस बोर्ड के "मैनुअल ऑफ जनरल प्रोसीजर " की पैरा सं.12.5.3 के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद प्रत्येक स्टॉक होल्डर द्वारा परिसंपत्ति का वस्तुगत सत्यापन किया जाना चाहिए और रजिस्टर में प्रत्येक मद के मामले में वस्तुगत सत्यापन के आवश्यक प्रमाणपत्र दर्ज किए जाने चाहिए । हालांकि 31 मार्च 2014 को बोर्ड की स्थिर परिसंपत्तियां 188.37 करोड़ रुपयों की हैं, उन स्थिर परिसंपत्तियों का वस्तुगत सत्यापन किया जाना शेष है और जो जीएफआर और मैनुअल ऑफ जनरल प्रोसीजर का उल्लंघन है और दस से अधिक वर्षों के लिए वह बकाया राशि में है।

ह.

(12-12-14)

उप निदेशक